(146)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 843–पीबीआर/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–2–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 222/2001–02/अपील.

गिरजा बाई पत्नी कुन्दनसिंह
निवासी ग्राम भेंगना
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर .....आवेदिका

विरूद्ध

1– अमरजीत सिंह
2– मुख्त्यारसिंह
3– गुड्डी
पुत्र/पुत्री गुज्जरसिंह
4– बलविन्दरसिंह
5– अमरीकसिंह
6– स्वर्णसिंह
7– कन्तो कौर
पुत्र/पुत्री कुन्दनसिंह
8– जसवीर कौर पत्नी स्वर्णसिंह
निवासीगण ग्राम भेंगना
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर
9– गजेन्द्रसिंह
10– धर्मेन्द्रसिंह
11– दीपेन्द्रसिंह
पुत्रगण चन्दनसिंह
12– प्रहलाद सिंह पुत्र बालकिशन
निवासीगण ग्राम भेंगना
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदिका
श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क. 9 से 11

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/1/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत भेंगना द्वारा प्रस्ताव कमांक 22 दिनांक 15–9–98 से भूमिस्वामी कुन्दनसिंह की मृत्यु होने से उसके स्वामित्व की भूमि पर वारिसाना नामांतरण स्वीकृत किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, डबरा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–6–99 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण हेतु नायब तहसीलदार वृत्त आंतरी तहसील भितरवार को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर, ग्वालियर के प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 22–6–2000 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–12–2001 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरण आदेश स्थिर रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–2–2002 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार को नियमानुसार निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा ग्राम पंचायत एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा 29 (2) को समझने में भूल की गई है, क्योंकि उक्त धारा के अंतर्गत प्रथागत तलाक को मान्यता प्रदान की गई है एवं आवेदिका एवं मृतक भूमिस्वामी अनेक वर्षों से साथ रहने के कारण पति–पत्नी की कल्पना की जावेगी । अंत में तर्क प्रस्तुत किया

गया कि अपर आयुक्त के समक्ष पंचनामा सहित निर्वाचक नामावली एवं राशन कार्ड प्रस्तुत किये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि आवेदिका मृतक भूमिस्वामी की पत्नी है, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 9 लगायत 11 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वारिसाना नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जो कि विवादित था, और विवादित भूमि के संबंध में नामांतरण आदेश पारित करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है । अतः अपर आयुक्त द्वारा ग्राम पंचायत एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण पंजी पर नामांतरण आदेश पारित करने में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत बने नामांतरण नियमों के नियम 27 के अंतर्गत सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा ग्राम पंचायत एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को नियमानुसार नामांतरण की कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2002 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर